

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने, जनता कॉलोनी, जयपुर

प.7(110) डीएमई/ Accd./MNDY/ 2021/पार्ट-III/2627

दिनांक 17/6/2022


प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 24..... वित्तीय वर्ष 2022-23

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 08, राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएँ पूर्णतया निशुल्क किये जाने बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- वित्त विभाग की आई डी सं. 152200506 दिनांक 24.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 08, राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएँ पूर्णतया निशुल्क किये जाने बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में चिकित्सा संस्थानों के सम्बन्धित आर.एम.आर.एस. को व्ययों की पूर्ति हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध कराये जाने बाबत वित्त (व्यय-1) विभाग की आई डी संख्या 152200506 दिनांक 24.05.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (पूर्व में BS'By) में राजकीय चिकित्सा संस्थानों को प्राप्त राशि में से जिला अस्पतालों ओर राज्य में चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के संघटक चिकित्सालयों द्वारा, वित्त विभाग की आई डी संख्या 151700023 दिनांक 31.05.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में लौटायी जाने वाली राशि जो कि आय का 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत है, को सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों द्वारा स्वयं रखे जाने अर्थात् राजकोष में जमा न कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित राजकीय चिकित्सा संस्थान के द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्राप्त दावे की राशि में से संस्थान द्वारा इस योजना तथा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज के लिये किये गये व्यय को कम किया जाकर शेष अधिशेष राशि (Surplus) को राजकोष में प्रतिवर्ष जमा कराया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई डी सं. 152200506 दिनांक 24.05.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।



(गौरव चतुर्वेदी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक

प.7(110) डीएमई/ Accd./MNDY/ 2021/पार्ट-III/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-1) राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर.एस.एच.ए.ए., जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) / आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/डीन, मेडिकल कालेज, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, बाडमेर, भीलवाडा, चुरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर, भरतपुर, झालावाड, आरयूएचएस सीएमएस, आरयूएचएस सीडीएस,
10. अधीक्षक, आरयूएचएस न्यू हॉस्पिटल।
11. रजिस्ट्रार, आरयूएचएस, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार/वित्त नियंत्रक, राजमैस सोसायटी, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, बाडमेर, भीलवाडा, चुरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर, भरतपुर, झालावाड, आरयूएचएस सीएमएस, आरयूएचएस सीडीएस, आरयूएचएस न्यू हॉस्पिटल।
13. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा न. 98ए, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
15. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
16. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने, जनता कॉलोनी, जयपुर

प.7(110) डीएमई/ Accd./MNDY/ 2021/पार्ट-III/

दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 24..... वित्तीय वर्ष 2022-23

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 08, राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएँ पूर्णतया निशुल्क किये जाने बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- वित्त विभाग की आई डी सं. 152200506 दिनांक 24.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 08, राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएँ पूर्णतया निशुल्क किये जाने बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में चिकित्सा संस्थानों के सम्बन्धित आर.एम.आर.एस. को व्ययों की पूर्ति हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध कराये जाने बाबत वित्त (व्यय-1) विभाग की आई डी संख्या 152200506 दिनांक 24.05.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (पूर्व में BS'By) में राजकीय चिकित्सा संस्थानों को प्राप्त राशि में से जिला अस्पतालों ओर राज्य में चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के संघटक चिकित्सालयों द्वारा, वित्त विभाग की आई डी संख्या 151700023 दिनांक 31.05.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में लौटायी जाने वाली राशि जो कि आय का 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत है, को सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों द्वारा स्वयं रखे जाने अर्थात् राजकोष में जमा न कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित राजकीय चिकित्सा संस्थान के द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्राप्त दावे की राशि में से संस्थान द्वारा इस योजना तथा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज के लिये किये गये व्यय को कम किया जाकर शेष अधिशेष राशि (Surplus) को राजकोष में प्रतिवर्ष जमा कराया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (व्यय-1)विभाग की आई डी सं. 152200506 दिनांक 24.05.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।



(गौरव चतुर्वेदी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक 17/6/2022

प.7(110) डीएमई/ Accd./MNDY/ 2021/पार्ट-III/2627

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-1) राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर.एस.एच.ए.ए., जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) / आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1)विभाग, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/डीन, मेडिकल कालेज, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, बाडमेर, भीलवाडा, चुरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर, भरतपुर, झालावाड, आरयूएचएस सीएमएस, आरयूएचएस सीडीएस,
10. अधीक्षक, आरयूएचएस न्यू हॉस्पिटल।
11. रजिस्ट्रार, आरयूएचएस, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार/वित्त नियंत्रक, राजमैस सोसायटी, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, बाडमेर, भीलवाडा, चुरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर, भरतपुर, झालावाड, आरयूएचएस सीएमएस, आरयूएचएस सीडीएस, आरयूएचएस न्यू हॉस्पिटल।
13. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा न. 98ए, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
15. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
16. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव